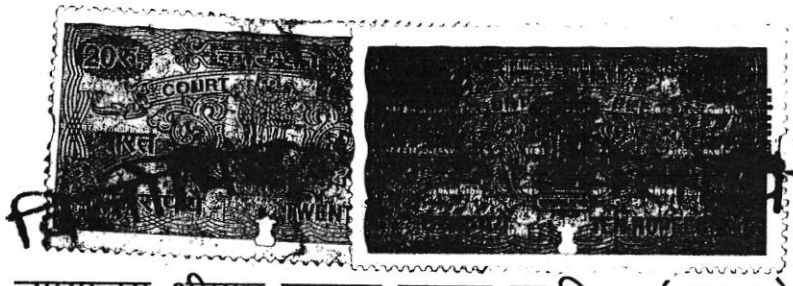

51

न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल ग्वालियर (मध्य प्रदेश)

निगरानी कमांक :–   /2017   R 1121-II-17

हीरालाला तनय भूरे यादव, निवासी ग्राम मौखरा तहसील व जिला टीकमगढ़ (मध्य प्रदेश)

..................निगराकार

ब ना म्

श्री
द्वारा आज 10-4-17
प्रस्तुत
क्लर्क ऑफ कोर्ट 10-4-17
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

मध्य प्रदेश शासन द्वारा पटवारी हल्का ग्राम अन्तौरा तहसील वडागॉव जिला टीकमगढ़ (मध्य प्रदेश)

.................अनावेदक

निगरानी अंतर्गत धारा 50 मध्य प्रदेश भू–राजस्व संहिता सहपठित धारा 162(2)

प्रकरण कमांक 2बी–121/2016–17 में पारित आदेश दिनांक 30.03.2017 के विरूद्ध

महोदय,

निगराकार की ओर से विनय इस प्रकार है :–

1. भूमि स्थित ग्राम परागढ़ ऊगड़ तहसील वडागॉव खसरा नम्बर 101, 102, 103, 104 105, 106 कमशः 0.55, 0.75, 0.25, 0.53, 0.77, 0.76 निगराकर के स्वामित्व की भूमि से लगी हुयी भूमि है एवं निगराकार उक्त भूमि पर निस्तारित है, उक्त वास्ते निगराकार द्वारा मध्य प्रदेश भू–राजस्व संहिता धारा 162 अध्यादेश 21.08.2015 के तारतम्य में आवेदन प्रस्तुत किया जिससे धारा के प्रावधान अुनसार राजस्व कृषि भूमि को संहिता की धारा मध्य प्रदेश पू–राजस्व संहिता आगे कहा जायेगा, धारा 162(2) के अनुसार उक्त कृषक उक्त भूमि को शासकीय प्रीमियम पर प्राप्त कर सकता है जिसके लिये सक्षम अधिकारी कलेक्टर महोदय, को घोषित किया गया।

2. यह कि, निगराकार द्वारा प्रस्तुत आवेदन में उक्त स्थिति की मांग की, अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण पंजीबद्ध कर आवश्यक कार्यवाही व मौका कब्जा पटवारी हल्का हेतु आदेशित किया, दिनांक 19.12.2016 को पटवारी रिपोर्ट प्राप्त की जिसमें उक्त खसरा कमांक से संबंधित रिपोर्ट प्राप्त जिसमें आवेदक सहित उसके परिवार का कब्जा स्पष्ट घोषित किया गया, मौका पंचनामा भी बनाया गया जिसके अनुसार उक्त भूमि पर आवेदक/निगराकार का लगातार फसली कब्जा प्रमाणित है ऐसी स्थिति में आवेदक उक्त भूमि का स्वामित्व शासकीय पट्टा 162 के अंतर्गत सम्पूर्ण विधि सम्मत् पात्र व्यक्ति है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा भूमिहीन

XXXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश – ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक – निगरानी–1121–एक/17 **जिला** – टीकमगढ

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
18.01.2018	आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री सुनील सिंह जादौन उपस्थित। उन्हें ग्राह्यता के बिन्दु पर सुना गया। आवेदक अधिवक्ता के तर्कों पर विचार किया एवं आलोच्य आदेश का अवलोकन किया। अपर कलेक्टर के आदेश को देखन से स्पष्ट है कि उन्होंने तहसीलदार की रिपोर्ट के अनुसार आवेदक का कब्जा विवादित भूमि पर नहीं है यह माना है। अतः यह मानते हुए कि आवेदक के पास 3.277 हे. भूमि थी, जिसे अभी विक्रय किया गया है। उक्त आधार पर उन्होंने आवेदक को भूमिहीन की श्रेणी में नहीं मानते हुए आवेदक के आवेदन पर विचार किया जाना उचित नहीं पाया है। प्रकरण के तथ्यों को देखते हुए उनके आदेश में कोई त्रुटि प्रतीत नहीं होती है। परिणामतः यह निगरानी ग्राह्य योग्य न होने से अग्राह्य की जाती है। प्रशासकीय सदस्य	